



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग,
रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com दूरभाष / फैक्स नं 05947-251362



पत्रांक:- २५४५ / १२-१

दिनांक, रामनगर

१४ / ४ / .2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:- वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/OFC/146450/2021 की आपत्तियों का निराकरण।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक AGM/Tx/NOFN/Ramnagar/ROW-Forest/2020-21/11 दिनांक 08.04.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गयी वांछित सूचना निम्न प्रारूप में भरकर प्रेषित की जा रही है।

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के किनारे—किनारे OFC केबल बिछाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित Hand Book के पैरा 4.1 एवं 4.2 के अनुसार अपेक्षित ROW की सूचना प्रस्ताव के संलग्न की जानी अपेक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बिन्दु संख्या 1 के क्रम में भारत सरकार के डिजिटल इडिया योजना के अन्तर्गत, भारतनेट एक प्रमुख कार्यक्रम है तथा सभी ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाकर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान की जा रही है। इस आशय हेतु भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार के बीच अनुबंध MOU No. NOFN/ROW-28 दिनांक 26.10.2012 को किया गया है जो कि परियोजना की लाइफ साइकिल तक मान्य है। मुख्य सचिव उत्तराखण्ड द्वारा भी पत्रांक 360 / XXXIV/2014/20/2012 दिनांक 8.08.2014 द्वारा उक्त कार्यों हेतु की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जोकि प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 3 में संलग्न किया गया है।
2.	प्रस्ताव में एफ०आर०ए० पूर्ण संलग्न नहीं है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बिन्दु संख्या 1 के क्रम में सम्बन्धित आपत्ति की सूचना प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-१ में दीयी है जिसमें जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-९ / ९८-एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) परियोजनाओं यथा—सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। FRA की धारा 3(2) के तहत भारत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं के लिए वन भूमि के Diversion को रेखिक (Linear) परियोजना के मामले में छूट दी गई है।

०/८

3.	प्रस्ताव में संलग्न सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या अंकित की जानी अपेक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में संलग्न सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या अंकित कर दि गई है।
4.	वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सक्षम स्तर से अधिकृत किये जाने वाले अधिकारी से सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अपेक्षित हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित आपत्ति का निराकरण कर दिया है। प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु श्री टी० एस० पांगती, सहायक महाप्रबंधक (ट्रांस) वी०एस०एन०एल०, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड को भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल पर सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्ताव अपलोड करने हेतु अधिकृत किया गया है।
5.	प्रश्नगत परियोजना हेतु आवंटित वन भूमि का कुछ भाग पवलगढ़ संरक्षित आरक्षित वन के अंतर्गत है इस सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड की सहमति/आख्या प्रस्ताव में अपेक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित आपत्ति के अनुपालन में पत्र संख्या 2585/12-1 दिनांक 02.04.2022 के माध्यम से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
6.	उपरोक्त कमियों के निराकरण के पश्चात् प्रस्ताव ऑनलाइन/ऑफलाइन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त सभी कमियों के निराकरण कर दिया गया है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- यथोपरि चार प्रतियों में।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक:- २५४५, तददिनांकित:- १८/४/२०२२

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक महाप्रबंधक (ट्रांस) हल्द्वानी, भारत संचार निगम लिमिटेड जिला-नैनीताल को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

Free Right of way order from Urd Govt.

संख्या १६६ / अधिकार ३४ / २०१४ / २० / २०१२

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव, सचिव;
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

देहरादून: दिनांक ०८ जून २०१४

विषय:- प्रदेश में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

भारत सरकार की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु ग्राम पालायत रत्न पर ऑप्टिकल फाइबर (OFC) को ग्राम पालायत जाने हैं। उक्त कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्पेशल परपज-वेहिकिल के साथ ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) का नियन किया गया है। उक्त परियोजना प्रारंभ में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन दिनांक 26.10.2012 (अ है संलग्न) को हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

2. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित व्यवस्थाएँ लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क व्यापित किये जाने हेतु ऑप्टिकल फाइबर केंविल विछाये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी विभागों के खामित्व में पड़ने वाले विभिन्न की शुद्धि से पूर्व विभिन्न स्तरों से अनुमति प्राप्त करना में आने वाली जटिलताओं को न छोड़े। हुए प्रदेश सरकार द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि प्रोजेक्ट की इम्लीमेंटेशन एंजेंसी है कि प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न संस्थाओं द्वारा परियोजनावाधि में पुनः अनुमति न लानी पड़े, इस हेतु ब्लैकेट अप्रूवल एवं दबाव प्रदान किया जाता है। इसके अन्तर्गत आप्टिकल फाइबर कंविल (OFC) विछाने हेतु निःशुल्क अनुमति एवं अधिकार (ROW) होगा तथा कोई न रीइन्स्टेटमेंट शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(2) उक्त समझौता ज्ञापन के प्रस्तर- 5.2 में की गयी व्यवस्था के अनुसार यानि पंचायत तक आप्टिकल फाइबर कंविल विद्याने से सम्बन्धित समरत कार्यवाही भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा की जायेगी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा रीइन्स्टेटमेंट का कार्य इस भाँति किया जायेगा कि सड़क के किनारे जोदी गयी सतह भरसक उसकी मूल रिथिति में ले आई जाए। सड़क की कटान को बचाने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया जायेगा; पक्की सड़क

को पार करने के लिए एच०डी० अथवा हॉर्जेंटल वोरिंग का प्रयोग किया जाएगा। ताकि शटक को लिंग वाली लति को बन रो दिया किया जा सके।

(3) परियोजना के विद्यान्वयन हेतु भारत बॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ रमन्चय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग गोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

(4) चूँकि ग्राम पंचायतों तक नेशनल ऑपरेटर फाइबर नेटवर्क द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना स्थानीय जनता, ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार के हित में है अतः राज्य सरकार के स्थानीय निकाय, राज्य सरकार की कामानियों तथा एजेंसियों द्वारा राइट ऑफ वे (ROW) चार्ज अधिरोपित नहीं किये जायेंगे। इस परियोजना में राज्य सरकार का अशदाद माना जाएगा।

(5) भारत बॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु स्थापित किये जाने वाले OPGW/ABSS केबिलों की स्थापना के लिए राज्य सरकार का वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियों द्वारा वितरण लाइनों/पारेषण लाइनों/उप पारेषण लाइनों पर शुल्क रहित राइट ऑफ वे प्रदान किया जायेगा।

(6) परियोजना रो सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना/उपकरणों को रखने के लिए धर्थआवश्यक शुल्क भुगतान के आधार पर ग्राम पंचायत भवन अथवा अन्य समुचित स्थान पर स्थल एवं विजली उपलब्ध कराई जाएगी तथा ऐसे स्थानों पर भारत बॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के स्टाफ अथवा प्रतिनिधि को ऑपरेशन एवं बेन्टीनेचर के लिए अनुमति होगी।

(7) जनपद स्तर पर परियोजना के निर्विवाद सफल एवं सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए निम्नानुसार जनपद स्तरीय रामिति गठित की जायेगी:-

1- जिलाधिकारी-	भौतिक
2-मुख्य विकास अधिकारी-	सदस्य सचिव
3-अधिशासी अधियक्षा/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग-	राज्य
4-अधिशासी अधियक्षा/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, ग्रामीण अभियांत्रण सेवा-	सदस्य
5-अधिशासी अधियक्षा/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, विद्युत विभाग-	सदस्य
6-अधिशासी अधियक्षा/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, सिचाई विभाग-	सदस्य
7-अधिशासी अधियक्षा/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, पेयजल विभाग-	सदस्य
8-प्रभागीय वनाधिकारी-	सदस्य
9-जिलापंचायतीराज अधिकारी-	सदस्य
10-सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी/ गांव अधिकारी-	सदस्य
11-अन्य जिलाधिकारी द्वारा नामित-	सदस्य
संलग्नक.- यथोच्चत्।	सदस्य

भौतिक

(रुभार्जुमार)
गुरुदामी

संख्या ३८६ / XXXIV / 2014 / 20 / 2012 तदनिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ययाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
 2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, एफ०आर०डी०सी० उत्तराखण्ड शासन।
 3. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग भारत सरकार।
 4. भारत बॉडबैड नेटवर्क लिमिटेड देहरादून।
6. गार्डफाइल।

आशा स.
Raman
(रामनाथ रामन)
अपर सचिव

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jorbagh Road,
New Delhi - 110003
Dated: 26th October, 2021

To

The Secretary (Forests),
All State Governments/UT Administrations

Sub: Clarification on applicability of Forest (Conservation) Act, 1980 over RoW of Roads - regarding.

Sir,

The undersigned is directed to refer to the meeting of Group of Infrastructure held on 24.08.2021 under the chairmanship of Hon'ble Minister, RT&H and MSME wherin it has been desired to clarify the applicability of Forest (Conservation) Act, 1980 in respect of lands within the RoW, ownership of which rests with the NHAI or State Government. The matter with regard to the applicability of the Act in such lands was examined in the Ministry and after due deliberation following is clarified:

"if the ownership of land vests with MoRT&H/NHAI/State road constructing agency, it is not a 'forest' as per Government records and the same land is under 'non-forest use' before 25th October 1980, then provisions of Forest (Conservation) Act 1980 would not apply".

This issues with the approval of competent authority.

Sd/-

(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Secretary, Ministry of Road Transport & Highway, Transport Bhawan, Parliament Street New Delhi-110001
2. PCCF (HoFF), Department of forests, all States/UTs
3. DDG (F), MoEF&CC's all IROs
4. APCCF cum Nodal Officer (FCA), Department of forests, all States/UTs.
5. PPS to Secretary, (EF&CC)/PPS to DGF&SS, MoEF&C

Signed by Sandeep Sharma
Date: 26-10-2021 18:52:00
Reason: Approved

(2/2)

Form-1
(For Linear project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate, Nainital

NO..... Dated.....

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoF), Government of India's letter no 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009, Wherein the MoF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Right) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoF's letter dated 5th February 2013 Wherein MoF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that ~~0.376~~. Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of M/s. ~~D.S.N.L.~~, NAINITAL for Lay of Optical Fiber Cable in Nainital District.

It is further certified that:

- a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA is exempted for the entire ~~0.376~~ Hectares of forest proposed for diversion in case of linear projects.
- b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA is exempted in case of Linear project.
- c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and pre agricultural communities.

ले
District Magistrate

Nainital

मिलाइकर्ड
नैनीताल

विषय सूची :-

वन भूमि पर प्रस्तावित 1.00 हेठो से कम क्षेत्रफल के कतिपय प्रयोजनों, जिन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रदान करने के लिये राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र/सूचनाओं का विवरण। (मुख्य प्रयोजन:-पेयजल, रक्कूल, अस्पताल, विद्युत सब स्टेशन, पारेशन लाईन, भूमिगत और एफ०सी० केबल, सामुदायिक भवन आदि)

क्रम संख्या	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	पृष्ठ संख्या
1.	Form-1 (For Linear Project) Govt. of UKD office of the DM, Nainital	-	1
2.	प्रतिवेदन with letters ROW (free right of way order) UKD Govt.	1	2-3
3.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4	4-10
4.	Certificate of BSNL Ramnagar Block/NOFN/NT/GMTD/2014-15/03	-	11
5.	BSNL attached with each Survey Reports	-	12-13
6.	BSNL Ramanagar BLK GPS route diagram with Lat/ Long	-	14-17
7.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3	18
8.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फ़ाइल में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	19
9.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (SIR)	5	20
10.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट मानचित्र।	6 व 7	21-24
11.	वैकल्पिक सरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र	8	25
12.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	10	26
13.	प्रजावदा भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	27-28
14.	परियोजना की लंबाई एवं चौलाई।	12	29
15.	वार चार्ट का प्रारूप	13	30
16.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण एवं मूल्यांकन/सारांश/वार्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	15 से 15.6	31-37
17.	बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र।	16	38
18.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण-पत्र।	18	-
19.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र।	19	39
20.	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकरण द्वारा हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	20	40
21.	मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	29	41-42
22.	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र व परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	31 व 32	43

23.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	33	44
24.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो) संलग्न तहसील रामनगर पर स्थित क्षेत्र की राकिल दरें (200 मीटर से बाहर)	34	45-46
25.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मध्य मानचित्र/क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र व क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र।	35 व 36	47
26.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन।	37	48
27.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन। (1.00हें से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	39	48
28.	मालवा निस्तारण योजना व मानचित्र।	41	49
29.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	42	50
30.	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	43	51
31.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन। (यदि लागू हो)	44	52
32.	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में) व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने प्रमाण-पत्र।	45 व 46	53
33.	MOU (Memorandum of Understanding) DOT, Govt. of India, Govt. of Uttarakhand, BSNL/BBNL	-	54-56
34.	राज्य में नेशनल ऑपरेटर फाइबर नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन पत्र मुख्य सचिव द्वारा	-	57-58
35.	Letter NOFN work-Regarding action on review meeting letter from आयुक्त कुमाऊँ मंडल, नैनीताल (Commissioner Kumaon Division, Nainital)	-	59-60
36.	वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को ऑन-लाइन अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा	-	61-63
37.	Network connectivity issues in the state of Uttarakhand letter from Director(ASTF-I) Govt. Ministry of Communications, Dept. of Telecommunications ,New Delhi	-	64
38.	Letter from PS Office of the Communications, Law & Justice and Electronics & Information Technology to Hon'ble State Minister	-	65
39.	Letter from State Member of Parliament(Rajya Sabha) to Central Telecom Minister for State network Connectivity.	-	66

परियोजना का नाम :—भारत सरकार की "भारत-नेट / नोफन परियोजना" के अंतर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेल घाड़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे- किनारे ऑटोकल फाइबर केबल डालने हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

प्राधिकरण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस खंड जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे- किनारे ऑटोकल फाइबर केबल डालने हेतु संरक्षित वन भूमि प्रस्ताव, श्री टी.एस.पांगती, सहायक महाप्रबंधक(ट्रांस), बी.एस.एन.एल., हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा पलोड किया जायेगा।

सहायक महाप्रबंधक
ट्रांसमिशन, हल्द्वानी (बी.एस.एन.एल.)
जिला - नैनीताल, (उत्तराखण्ड),
Mobile No. 9412000 556
Email Id: agmtxnainital@gmail.com



27.04.2021
सहायक महाप्रबंधक (प्लानिंग)
GMTD हल्द्वानी, भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.)
जिला - नैनीताल (उत्तराखण्ड)
क्षेत्राक महाप्रबंधक (प्लानिंग)
कार्यालय छत्ताकुला कुरुक्षेत्र दार
नैनीताल भूमि 263.11



भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार उपक्रम)

कार्यालय महा प्रबंधक दूरसंचार जिला नैनीताल
दूरभाष केंद्र, आवास विकास, हल्द्वानी- २६३१३९

सेवा में,

श्रीमान अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- AGM/Tx/NOFN/Ramanagr/ROW-Forest/2020-21/10

दिनांक: 04.04.2022

प्रस्ताव संख्या :FP /UK /OFC/146450/2021

परियोजना का नाम:- भारत सरकार की "भारत -नेट / NOFN परियोजना" के अंतर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे - किनारे ऑटोस्टॉप फाइबर केबल (OFC) डालने हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

विषय:-परियोजना स्थल में किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा होने व हवाई दूरी पर अनापत्ति प्रमाण -पत्र ऑनलाइन FC परिवेश Portal में User Agency (UA) की तरफ से Uploading नहीं होने के लिए आवदेन।

महोदय,

वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के अंतर्गत, उपरोक्त परियोजना भारत सरकार की "भारत -नेट/NOFN परियोजना" के अंतर्गत मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण, मूल्यांकन, IT एवं आधुनिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून एफ०नं० -3201-2D/2020 -Forest Dept., दिनांक 07 जून 2021 द्वारा परियोजना स्थल में किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा होने व हवाई दूरी KML file द्वारा 678 मीटर निर्धारित की गयी है एवं भारत सरकार का पत्रांक -06-60/ 2020 WL दिनांक 16 जुलाई 2020 के अनुसार उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रकरण में कार्यालय मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड, देहरादून पत्र संख्या -2585 /12-1, देहरादून, दिनांक 02 अप्रैल ,2022 को अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गयी है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त विषय पर अनापत्ति प्रमाण -पत्र ऑनलाइन FC परिवेश Portal में User Agency (UA) की तरफ से Uploading की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने की कृपा करें ताकि परियोजना का कार्य समय से पूर्ण किया जा सके।

प्रारूप 18 व 19, व प्रारूप 20 व अन्य वांछित प्रपत्र इस पत्र के साथ संगलग्न है।

भवदीय

सहायक महाप्रबंधक (ट्रांस)
GMTD हल्द्वानी, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)
जिला -नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रतिलिपि :- 1. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग को सूचनार्थ ।
2. State Head & Sr.GM, भारत बॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) को सूचनार्थ ।

परियोजना का नाम:-

जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम टेडा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चैक पोर्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे—किनारे ऑपटिकल फाइबर केबल डालने हेतु प्रस्ताव FP/UK/OFC/146450/2021

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण के पत्रांक—एफ0न०—3201-2D/2020-..FOREST DEPARTMENT, दिनांक 07 जून 2021 एवं प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर द्वारा उक्त कार्य हेतु याचित कार्बेट टाइगर रिजर्व की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 678 मी0 आंकलित की गयी है। प्रस्तावित कार्यस्थल राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव विहार के अन्तर्गत स्थित नहीं है। इस परियोजना के निर्माण से वन्यजीवों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। भारत सरकार का पत्रांक—6—60 / 2020 WL दिनांक 16 जुलाई 2020 के अनुसार उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त कार्य हेतु अनापत्ति दी जाती है।

कार्यालय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

85, राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) फोन - 0135- 2742884 फैक्स न० 2745691

email : cwlwua@yahoo.co.in

पत्र संख्या — 2585 / 12-1 , देहरादून, दिनांक 02 अप्रैल 2022

प्रतिलिपि:—प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—State Head & Sr. GM, Bharat Broadband network limited को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ पराग मधुकर धकाते)
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

15/6/2021

कायालत्य

भगवान्नपुर का-सर्वे आवेदन



मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आईटी० एवं आधिकारिक कृपामार्ग वा०। संग्रहालय का-सर्वे आवेदन

वन भवन, ४५ / ८५, राजपुर रोड, उत्तरखण्ड, देहराधुन।

सेवा में,

सहायक नहाप्रबंधक(दिवांग)

भारत संचार निगम लिमिटेड(भिएस०एन०एल०),
दिल्ली-नीराताल।

परियोजना स्थल में किसी राशदीय पद्धति/दस्तावेज अन्वरत्यका हिस्सा न होने व हवाई प्रदूष का दृश्य प्रभाव के द्वारा तथा रेतों की दुर्बलता के चाल नदी के लिए आवेदन।

संदर्भ :- आपका पर्याक अगम्यनोन्नी/Raigarh/ROW/Forest/2020-21/विनाक 22-04-2021।

नहोदय,

उपरोक्त सदर्वित पत्र के ऋम वे उपरात कराता है कि नारत नेट / NORN परियोजनाके अन्तर्गत जनपद नैनिटन में दानापर या प्रभाव के दानापर प्रभाव देखा जाने के लिए इन तथा उनकी वैराज देखने के लिए नदी पर्यावरण नवन दक्ष सड़क के बेलगढ़ फोरेस्ट चंपक पार्ट तथा बेलगढ़ फॉरस्ट देखा पार्ट से स्वार्थी प्रदूषणात्मक विनारे-किनारे और स्थिति का दृश्य प्रभावित क्षेत्र की केन्द्रप्रति फाइल से हवाई हूंडी निम्नवर्त आंकोलित की गई है।-

क्र०सं	वन्यजीव अन्वरत्य/राशदीय पद्धति/	हवाई हूंडी
क्रमांक	कर्तव्यप्रदान लिंगव/आरोक्षित वन क्षेत्र	
०	पावलाडु कर्तव्यप्रदान लिंगव की निकटतम तीरा में स्थित होकर जा रही है।	
१	सीमा से	
२	कर्वट टाइटर रिजिव की निकटतम तीरा में ६७८ मी० उन्हें दूरी जीतियाएल० उक्तनामी छान दो गयी कर्वट काइल से स्थितिकर उद्दत हवाई दूरी जीतियाएल० उक्तनामी छान दो गयी कर्वट काइल से स्थितिकर आकलित की गई है।	

अवधीय,

Digitally signed by PANKAJ
KUMAR
Date:Mon Jun 07 13:23:05 IST
2021
इस दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है।
उत्तराखण्ड, देहराधुन।

प्रपत्र-19

परियोजना का नाम :—भारत सरकार की "भारत-नेट / नोफन परियोजना" के अंतर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेहा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पर्याप्त भवन तक सड़क के किनारे- किनारे ऑप्रिकल फाइबर केबल डालने हेतु संरक्षित वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपरथ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी 0.678 किमी⁰ है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

नोट :—उक्त प्रमाण-पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।